


File No. CICOM/R/P/23/00134

Shri Laxman Prasad

महोदय,

1. आपके द्वारा उपरोक्त आरटीआई आवेदन में जो सूचना मांगी गई है वह किसी भी पत्र या विषय पर सटीक जानकारी नहीं मांगी गई है
2. आपकी द्वितीय अपील पर सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं जो प्रथम दृष्टया आपके पक्ष में है साथ ही शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा भी सम्बंधित सूचना दिनांक 22.11.2022, 06.01.2023 के पत्र द्वारा आप को संप्रेषित कर दी गई है
3. आपके पत्र दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से सम्बंधित सूचना काल्पनिक प्रश्न सूचना है जो कहीं भी फाइल में उपलब्ध नहीं है और इसका संकलन कर पाना सीआईसी द्वारा संभव नहीं है
4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो यदि आप चाहें तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस उत्तर के विरोध में पहली अपील दायर कर सकते हैं

Additional Secretary (CIC)
& First appellate Authority
Central Information Commission
CIC-Bhawan, Baba Gangnath Marg
Munirka, New Delhi- 110067


Rakesh Kumar Rao
Deputy Registrar (JM) & CP10
09.05.2023

Copy to:

RTI Cell, CIC